न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 57/2020

1. जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड रजिस्टर्ड पता–102, कंचन अपार्टमेन्ट, तिलक नगर, जयपुर–302004 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह।

प्रार्थी

बनाम

1. गुड्डी देवी पत्नि स्व0 श्री शम्भू दयाल सैनी।
2. ममता दवी पुत्री स्व0 श्री शम्भू दयाल सैनी।
3. रेखा देवी पुत्री स्व0 श्री शम्भू दयाल सैनी।
4. चन्द्रभान सैनी पुत्र स्व0 श्री शम्भू दयाल सैनी।
5. बबीता पुत्री स्व0 श्री शम्भू दयाल सैनी।

समस्त पता– जींद का बास, जागिर, बांदीकुई, तहसील बांदीकुई जिला दौसा–303310, राज0 जरिये प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमति गुड्डी देवी पत्नि स्व. श्री शम्भू दयाल सैनी (माता)।

6. राकेश कुमार सैनी पुत्र श्री बाबूलाल पता– 107, टीलावाली, भादेडा, 1/2 तहसील बसवा जिला दौसा–303313, राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री कैलाश गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 29.10..2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थी संख्या 1 (सहऋणी) के पति एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पिता शम्भुदयाल सैनी पता–जींद का बास, जागिर, बांदीकुई, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा–303313 राज0 को 5,00,000/–(रूपये पांच लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। प्रार्थी कंपनी के प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त शम्भुदयाल सैनी का स्वर्गवास होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों (अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5) द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं दो समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई संपत्ति श्री शिम्भुदयाल सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप सैनी निवासी जागीर बांदीकुई के नाम से ग्राम पंचायत जागीर बांदीकुई पंचायत समिति बांदीकुई द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 66 एवं जारी दिनांक 07.08.85 जिसका माप 260 वर्गगज है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर नियमानुसार कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official